अंचल अधिकारी का कार्यालय, धनबाद।

संदिग्ध/अवैध जमाबंदी रद्द अभिलेख सं0 07/2020-21

बिहार (झारखंड) भूमि सुधार अधि0 1950 की धारा 4(h के तहत जाँच एंव कार्रवाई से संबधित।

दिनांक	आदेश फलक	अभियुक्ति
23/3/19	झारखड सरकार के ज्ञापांक–2074/रा0 दिनाक–13.05.2016 सहपठित–श्री अनुज मुखर्जी निर्देशक, भू–अर्जन–सह–विशेष सचिव राजस्व एंव भूमि सुधार विभाग का पत्र संख्या–3–खा0 म0 निति–119/85/2308/रा0 दिनांक 03.09.1985 एंव सह–पठित राजस्व विभागीय, परिपत्र संख्या–914/रा0 दिनांक 09.12.1998 मे निहित निर्देश के अनुपालन मे गैरमजरूआ खास भूमि की कायम की गयी जमाबंदियो की जाँच प्रारंभ की गयी। जाँच के क्रम मे हल्का राजस्व उपनिरिक्षक (राजस्व कर्मचारी) के द्वारा प्रतिवेदित किया गया विवरणी निम्नवत है–	
	मौजा–कोला कुसमा मौजा न0– 12 खाता न0 142 प्लॉट न0 ~~32-62~~ 1303 रकवा 4 कट्ठा 7 धूर (3.5 डिसमिल) की भूमि जो गैरमजरूआ खास, अनाबाद बिहार(झारखंड) सरकार के खाते की सरकारी भूमि है जिसकी जमाबंदी उस मौजा के पंजी–II के जिल्द संख्या 18 के पृष्ठ संख्या 3282 पर जमाबंदी रैयत श्रीमति श्वेता गुप्ता पत्नी श्री राजकुमार गुप्ता के नाम से कायम है।	
	हल्का राजस्व उपनिरिक्षक(राजस्व कर्मचारी) के द्वारा जाचोपरात उपर्युक्त विवरणी की भूमि के विरूद्ध कायम जमाबंदी को संदिग्ध प्रतिवेदित किया गया है। जाँच प्रतिवेदन से प्रतित होता है कि उपर्युक्त जमाबंदी बिना सक्षम प्राधिकार के आदेश के/अवैध बंदोबस्ती के आधार प/अवैध कोडकर बंदोबस्ती के आधार पर/ अवैध लगान निर्धारण के आधार पर/सादा हुकुमनामा के आधार पर कायम की गयी है जिसका उद्देश्य निजि लाभ एंव राज्य को क्षति कारित करना है।	
	प्रथम दृष्टया उपर्युक्त से स्पष्ट होता है कि उपर्युक्त विवरणी की जमीन की सृजित जमाबंदी अवैध प्रतीत होती है, जिसका बिहार (झारखड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत जाँच किया जाना वांछनीय प्रतीत होता है।	
	अतः– उपरोक्त जाँच प्रतिवेदन पर अंचल–निरिक्षक का मंतव्य प्राप्त करे। अभिलेख दिनांक 9/4/19 को रखें।	
	अंचल अधिकारी धनबाद।	

Scanned with CamScanner

9/4/19 अभिलेख उपस्थापित। अंचल निरीक्षक से मंतव्य /प्रतिवेदन अप्राप्त है। अभिलेख दिनांक 23/4/19 को रखे।

अंचल अधिकारी
धनबाद।

23/4/19 अभिलेख उपास्थिपित। अधोहस्ताक्षरी निर्वाचन कार्य मे व्यस्त रहने के कारण अभिलेख की सुनवाई नही हो सका।

अभिलेख दिनांक 7/5/19 को रखे।

अंचल अधिकारी
धनबाद।

15/6/20 अभिलेख उपस्थापित। अंचल निरीक्षक का प्रतिवेदन मंतव्य सहित प्राप्त। प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक मे विपक्षी को नोटिस निर्गत करें। अभिलेख दिनांक 29/06/20 को रखें।

अंचल अधिकारी
धनबाद।

29/6/20 अभिलेख उपस्थपित। अभिलेख के अवलोकनोपरान्त पाया कि मौजा कौला कुसमा मौजा नं0 12 खाता 152 प्लाट नं0 1303, रकवा 5 कट्ठा 7 छटाक 25 कड़ी भूमि से संबधित है। आवेदित भूमि गत सर्वे खतियान के अनुसार गैरआवाद खाते की भूमि है। जमाबंदी रैयत के खोज बीन के उपरान्त पता नही चल सका, जिसके कारण बिना नोटिस का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है (सुलभ प्रसंग हेतु नोटिस की प्रति संलग्न)। आवेदित भूमि दाखिल खारिज केस नं0 ....(....) .... के अनुसार कायम है। तत्कालीन अंचल अधिकारी , धनबाद द्वारा उक्त पजी को संदेहास्पद माना गया है। जिसे संबधित उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक ने उक्त जमाबंदी को रद्द हेतु प्रस्ताव प्रतिवेदन अनुशंसा सहित समर्पित किया

अतः जाँच प्रतिवेदन के आलोक मे जमाबंदी रद्द हेतु अभिलेख भूमि सुधार उपसमाहर्ता धनबाद को भेजें।

लेखापित एवं संशोधत।

25.6.20
अंचल अधिकारी,
धनबाद।

29.6.20
अंचल अधिकारी,
धनबाद।

अंचल अधिकारी का कार्यालय

वाद अभिलेख संख्या–__________/2018 (अन्तर्गत धारा–4(h), BLR Act, 1950)

सूचना

बनाम– श्रीमति सोमा गुप्ता
प० श्री राजकुमार गुप्ता
सा० कोला कुड़ागा

एतद द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि मौजा– कोला कुआ थाना नं०– 12 खाता नं०– 142 खेसरा नं०– 1303 रकबा– [illegible] से संबंधित आपके नाम से ह० नं०– 03 के पंजी–II भाग 12 के पृष्ठ 3292 पर दर्ज जमाबंदी प्रथम दृष्टया राजस्व कर्मचारी ने अंचल निरीक्षक के माध्यम से जाँचोपरान्त संदिग्ध प्रतिवेदित किया है।

अतएव आप उक्त संबंध में दिनांक–__________को समय–11:00 बजे पूर्वाहन में उक्त भूमि का रिटर्न–I, भूमि बंदोबस्ती से संबंधित हुकुमनामा, भूतपूर्व जमींदार द्वारा निर्गत जमींदारी रसीदों, फार्म M एवं सरकार में जमींदारी निहित होने के बाद सरकार द्वारा निर्गत राजस्व रसीदों निर्गत परवाना एवं अन्य ठोस साक्ष्यों की मूल प्रति/सत्यापित प्रति जो आपके उक्त भूमि पर दावे की पुष्टि करता हो, के साथ अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय प्रकोष्ठ में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें।

सनद रहे कि अन्यथा कि स्थिति में समझा जायेगा कि उक्त संबंध में आपको कुछ नहीं कहना है तथा उपलब्ध दस्तावेज/साक्ष्यों के आधार पर समुचित निर्णय पर पहुँचते हुए दर्ज जमाबंदी के संबंध में युक्ति–युक्त निर्णय लेते हुए विधिसम्मत अनुशंसा कर दी जायेगी।

इसे सख्त ताकीद जानें।

तिथि– मुहर अंचल अधिकारी

स्थान–

robin C:\Users\HP\Desktop\binod sir\court case.docx

Scanned with CamScanner

संदिग्ध / संदेहास्पद जमाबंदी संबंधी जाँच प्रतिवेदन

U145

1. संदिग्ध/संदेहास्पद जमाबंदी रैयत का नाम :- श्रीमति श्वेता गुप्ता प० श्री राजकुमार गुप्ता

2. जमाबंदी से संबंधित भूमि का विवरण :-

मौजा	थाना सं0	खाता सं0	प्लॉट सं0	रकबा
कोलाकुसमा	12	142	1303	4 कठा 7 छटांक 35 वर्गफीट

3. जमाबंदी पंजी – II के जिल्द संख्या ....1 B.... पृष्ठ सं0 ....3282.... पर कायम है–

4. जमाबंदी किस वर्ष से कायम है – 2006/07

5. खतियान के अनुसार उपरोक्त भूमि के खातेदार का नाम :– गैर आवाद

6. किस सक्षम प्रधिकार / पदाधिकारी के आदेश से जमाबंदी कायम की गई है :– लगान धार्य / बन्दो वस्ती/ दा0 खा0 मु0सं0 2720 (II) 2006/07 के आदेशानुसार जमाबंदी सं० 2695 से हटकर

7. यदि संदेहास्पद जामबंदी नामान्तरण द्वारा स्थापित है तो मूल जमाबंदी रैयत का नाम :– सुरेश प्रा० साव

8. मूल जमाबंदी कायम किए जाने का आधर (अनिबंधित सादा हुकुमनामा / लगान निर्धारण / अवैध भूबंदोबस्ती –
M/C NO 1214 (II) 2004/05 form TAHKA NO 800 से हटकर

9. संदेहास्पद जमाबंदी की जाँच किस राजस्व अभिलेख से की गई (भूतपूर्व जमींदार द्वारा

दाखिल रिटर्न / बन्दोबस्ती पंजी/ लगान निर्धारण पंजी / भू – हस्तांतरण पंजी

10. संदेहास्पद जमाबंदी में अंकित लगान रसीद संख्या एवं वर्ष –

क्र0 संख्या	लगान रसीद संख्या	रसीद निर्गत तिथि	वसूली वर्ष
01	1981406	2/3/07	2006/07
02			
03	018438	25/9/15	10-11 to 15-16

Scanned with CamScanner